"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015—वैशाख 4, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूखसाना खान पति श्री शमसुजोहा खान निवासी-ए-301, शिल्पगंगा अपार्टमेन्ट, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मैं रूखसाना परवीन के नाम से जानी जाती थी तथा मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रूखसाना परवीन त्रुटिवश दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति रूखसाना खान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति रूखसाना खान पति श्री शमसुजोहा खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमति रूखसाना परवीन पति-श्री शमसुजोहा खान निवासी-ए-301, शिल्पगंगा अपार्टमेन्ट मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति रूखसाना खान पति-श्री शमसुजोहा खान निवासी-ए-301, शिल्पगंगा अपार्टमेन्ट मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ सिल्वेस्टर आत्मज श्री एम. जॉनी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-प्रियंका नगर, प्लांट नं. 17, रिसाली भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम सौरभ आ. श्री एम. जॉनी है तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अंकसूची, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सौरभ सिल्वेस्टर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सौरभ सिल्वेस्टर आत्मज श्री एम जॉनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सौरभ आत्मज-श्री एम. जॉनी निवासी-प्रियंका नगर, प्लाट नं. 17, रिसाली भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सौरभ सिल्वेस्टर आत्मज-श्री एम. जॉनी निवासी-प्रियंका नगर, प्लाट नं. 17, रिसाली भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आकांक्षा कौर पति श्री रणवीर सिंह, आयु 27 वर्ष, निवासी-मौसाजी होण्डा के सामने, सीपत रोड नया सरकण्डा बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी आकांक्षा भारत पिता श्री जबुलुन भारत था. मेरा विवाह दिनांक 18-6-2014 को रणवीर सिंह पिता श्री करम सिंह नया सरकण्डा बिलासपुर के साथ हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती आकांक्षा कौर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती आकांक्षा कौर पति श्री रणवीर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी आकांक्षा भारत पिता-श्री जबुलुन भारत	श्रीमती आकांक्षा कौर पति-श्री रणवीर सिंह निवासी-मौसाजी होण्डा के सामने, सीपत रोड नया सरकण्डा बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतीश कुमार चंदेल पिता श्री शत्रुघन लाल चंदेल, उम्र 38 वर्ष, जाति सुनार, निवासी जगमल चौक बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय तथा अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सतीश कुमार चंदेल दर्ज है. जबकि मेरा मूल सरनेम सोनी है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सतीश कुमार सोनी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सतीश कुमार सोनी पिता श्री शत्रुघन लाल सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सतीश कुमार चंदेल
पिता श्री शत्रुघन लाल चंदेल
निवासी-जगमल चौक बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

सतीश कुमार सोनी
पिता श्री शत्रुघन लाल सोनी
निवासी-जगमल चौक बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुष्यंत कुमार दुधकौरव पिता श्री नीलम सिंह दुधकौरव, जाति कंवर, निवासी-ग्राम चन्दन बिरही, तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक व सही नाम दुष्यंत कुमार दुधकौरव है जिसे अंग्रेजी भाषा में Dushyant Kumar Kudhkaurav लिखा जाता है किन्तु मेरे कक्षा 10वीं की प्रमाण पत्र में मेरा नाम Dushyant Kumar Dudhakaurav दर्ज किया है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दुष्यंत कुमार दुधकौरव (Dushyant Kumar Kudhkaurav) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दुष्यंत कुमार दुधकौरव पिता श्री नीलम सिंह दुधकौरव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

OLD NAME

DUSHYANT KUMAR DUDHAKAURAV
RESI- GRAM CHANDANBIRHI
TEHSIL-GUNDERDEHI
DISTT. BALOD (C. G.)

NEW NAME

DUSHYANT KUMAR DUDHKAURAV
RESI- GRAM CHANDANBIRHI
TEHSIL-GUNDERDEHI
DISTT. BALOD (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ललिता बाई दुधकौरव पति श्री दुष्यंत कुमार दुधकौरव, जाति कंवर, निवासी-ग्राम चन्दनबिरही, तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मुझे ललिता बाई के नाम से जानी जाती थी. मेरा विवाह सन् 2003 में ग्राम चन्दनबिरही निवासी दुष्यंत कुमार दुधकौरव के साथ हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ललिता बाई दुधकौरव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती ललिता बाई दुधकौरव पति श्री दुष्यंत कुमार दुधकौरव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती ललिता बाई पति-श्री दुष्यंत कुमार दुधकौरव निवासी-ग्राम+पो. चन्दनबिरही तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.)	श्रीमती ललिता बाई दुधकौरव पति-श्री दुष्यंत कुमार दुधकौरव निवासी-ग्राम+पो. चन्दनबिरही तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. श्रीमती भावना साकुरे पति श्री संजय कुमार साकुरे, उम्र 39 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 92 ए, रूआबांधा सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा नाम विवाह पूर्व कुमारी रश्मि शेषराव माकड़े पिता श्री शेषराव माकड़े के नाम से जानी पहचानी जाती थी. एवं मेरे स्कूल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 11-6-1998 को संजय कुमार साकुरे पिता श्री आर. बी. साकुरे के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम डॉ. श्रीमती भावना साकुरे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे डॉ. श्रीमती भावना साकुरे पति श्री संजय कुमार साकुरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. रश्मि शेषराव माकड़े पिता-श्री शेषराव माकड़े निवासी-क्वा. नं. 92/A, रूआबांधा सेक्टर (बी. एस. पी.) भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490006	डॉ. श्रीमती भावना साकुरे पति-श्री संजय कुमार साकुरे निवासी-क्वा. नं. 92/A, रूआबांधा सेक्टर (बी. एस. पी.) भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनन्या देवांगन पिता श्री डोमार प्रसाद देवांगन, उम्र 19 वर्ष, निवासी-चिखली, वार्ड नं. 06, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम भावना देवांगन आ. श्री डोमार प्रसाद देवांगन था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अनन्या देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे अनन्या देवांगन पिता श्री डोमार प्रसाद देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

भावना देवांगन
पिता-श्री डोमार प्रसाद देवांगन
निवासी-चिखली वार्ड नं. 6, राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन-491441

नया नाम

अनन्या देवांगन
पिता-श्री डोमार प्रसाद देवांगन
निवासी-चिखली वार्ड नं. 6, राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन-491441

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 10 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/823.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परिसमापन/341/22-07-2013 के तहत श्री श्याम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, सहकारी समिति मर्यादित-ढ़ोढ़ीपारा, पंजीयन क्रमांक 74 दिनांक 04-02-2006 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री आर. जे. पाटले, व. स. नि को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं. कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत श्री श्याम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, सहकारी समिति मर्यादित -ढोढ़ीपारा, पंजीयन क्रमांक 74 दिनांक 04-02-2006 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूॅं.

यह आदेश आज दिनांक 10-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 10 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/824.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परिसमापन/512/18-09-2013 के तहत पार्वती महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, सहकारी समिति मर्यादित-खरमोरा, पंजीयन क्रमांक 65 दिनांक 11-03-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री आर. जे. पाटले, व. स. नि को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत पार्वती महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, सहकारी समिति मर्यादित -खरमोरा, पंजीयन क्रमांक 65 दिनांक 11-03-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 10 मार्च 2015

[अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क)]

क्रमांक/उपंको/परि./2015/825.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परिसमापन/511/18-09-2013 के तहत आदिवासी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, सहकारी समिति मर्यादित-खरमोरा, पंजीयन क्रमांक 64 दिनांक 11-02-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री आर. जे. पाटले, व. स. नि को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था/है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.), छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत आदिवासी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, सहकारी समिति मर्यादित -खरमोरा, पंजीयन क्रमांक 64 दिनांक 11-02-2005 विकास खण्ड-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. के. ध्रुव,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/154.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. खड़िया पंजीयन क्रमांक 237 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 22 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. खड़िया पंजीयन क्रमांक 237 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाशचन्द देवांगन, स. नि. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित खड़िया पंजीयन क्रमांक 237 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/155.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. धोंधा पंजीयन क्रमांक 236 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 21 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. धोंधा पंजीयन क्रमांक 236 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाशचन्द देवांगन, स. नि. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित धोंधा पंजीयन क्रमांक 236 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/156.—ईट भट्ठा निर्माण सहकारी समिति मर्या. दुल्लापुर पंजीयन क्रमांक 3548 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 45 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ईट भट्ठा निर्माण सहकारी समिति मर्या. दुल्लापुर पंजीयन क्रमांक 3548 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को ईट भट्ठा निर्माण सहकारी समिति मर्यादित दुल्लापुर पंजीयन क्रमांक 3548 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/157.—श्रीराम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पोंडी पंजीयन क्रमांक 35 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 35 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्रीराम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पोंडी पंजीयन क्रमांक 35 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाशचन्द देवांगन, स. नि. को श्रीराम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पोंडी पंजीयन क्रमांक 35 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/158.—आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्या. किशुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3818 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 46 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्या. किशुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3818 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अवनिन्द्र कुमार शर्मा, उप अंके. को आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्यादित किशुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3818 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/159.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. पुटपुटा पंजीयन क्रमांक 3428 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 26 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. पुटपुटा पंजीयन क्रमांक 3428 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित पुटपुटा पंजीयन क्रमांक 3428 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/160.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. अमनिया पंजीयन क्रमांक 3426 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 24 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. अमनिया पंजीयन क्रमांक 3426 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित अमनिया पंजीयन क्रमांक 3426 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/161.—स्टील वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिरकोना पंजीयन क्रमांक 339 विकासखण्ड कवर्धा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 48 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए स्टील वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिरकोना पंजीयन क्रमांक 339 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अवनिन्द्र कुमार शर्मा, उप अंके. को स्टील वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बिरकोना पंजीयन क्रमांक 339 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/162.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नेऊर पंजीयन क्रमांक 3427 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 25 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. नेऊर पंजीयन क्रमांक 3427 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित नेऊर पंजीयन क्रमांक 3427 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/163.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. कुकदुर पंजीयन क्रमांक 3429 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. कुकदुर पंजीयन क्रमांक 3429 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कुकदुर पंजीयन क्रमांक 3429 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/164.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. कांपा पंजीयन क्रमांक 234 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 19 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. कांपा पंजीयन क्रमांक 234 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश जोशी, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कांपा पंजीयन क्रमांक 234 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/165.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. अगरी पंजीयन क्रमांक 232 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 29 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. अगरी पंजीयन क्रमांक 232 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश जोशी, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित अगरी पंजीयन क्रमांक 232 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/166.—संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. परसवारा पंजीयन क्रमांक 3574 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 37 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. परसवारा पंजीयन क्रमांक 3574 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अवनिन्द्र कुमार शर्मा, उप अंके. को संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित परसवारा पंजीयन क्रमांक 3574 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/167.—संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. कुई पंजीयन क्रमांक 3576 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 39 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. कुई पंजीयन क्रमांक 3576 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित कुई पंजीयन क्रमांक 3576 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/168.—विकास कामगार सहकारी समिति मर्या. टाटाकसा पंजीयन क्रमांक 3762 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 44 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विकास कामगार सहकारी समिति मर्या. टाटाकसा पंजीयन क्रमांक 3762 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रूप कुमार साहू, उप अंके. को विकास कामगार सहकारी समिति मर्यादित टाटाकसा पंजीयन क्रमांक 3762 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/169.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. जोगपानी पंजीयन क्रमांक 233 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 30 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. जोगपानी पंजीयन क्रमांक 233 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश जोशी, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित जोगपानी पंजीयन क्रमांक 233 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/170.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. क्षीरबांधा अ पंजीयन क्रमांक 242 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 18 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. क्षीरबांधा अ पंजीयन क्रमांक 242 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रूप कुमार साहू, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित क्षीरबांधा अ पंजीयन क्रमांक 242 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/171.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बोदा (तरेगांव जं.) पंजीयन क्रमांक 231 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 28 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बोदा (तरेगांव जं.) पंजीयन क्रमांक 231 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश जोशी, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित बोदा (तरेगांव जं.) पंजीयन क्रमांक 231 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/172.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. भोंदा पंजीयन क्रमांक 235 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 20 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. भोंदा पंजीयन क्रमांक 235 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाश चन्द्र देवांगन, सह. निरी. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित भोंदा पंजीयन क्रमांक 235 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/173.—आदिवासी श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्या. प्राणखैरा पंजीयन क्रमांक 3361 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 42 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदिवासी श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्या. प्राणखैरा पंजीयन क्रमांक 3361 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अवनिन्द्र कुमार शर्मा, उप अंके. को आदिवासी श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्यादित प्राणखैरा पंजीयन क्रमांक 3361 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/174.— महावीर औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. ठाठापुर पंजीयन क्रमांक 332 विकासखण्ड स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 49 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए महावीर औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. ठाठापुर पंजीयन क्रमांक 332 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश जोशी उप अंके. को महावीर औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित ठाठापुर पंजीयन क्रमांक 332 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/175.—संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. किसुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3535 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 36 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. किसुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3535 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अवनिन्द्र कुमार शर्मा, उप अंके. को संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित किसुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3535 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/176.—संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. भरेवापारा पंजीयन क्रमांक 3575 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 38 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. भरेवापारा पंजीयन क्रमांक 3575 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित भरेवापारा पंजीयन क्रमांक 3575 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/177.—खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या. किशुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3714 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 43 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या. किशुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3714 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अवनिन्द्र कुमार शर्मा, उप अंके. को खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्यादित किशुनगढ़ पंजीयन क्रमांक 3714 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/178.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. क्षीरबांधा ब पंजीयन क्रमांक 242 विकासखण्ड स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 31 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. क्षीरबांधा ब पंजीयन क्रमांक 242 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रूप कुमार साहू, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित क्षीरबांधा ब पंजीयन क्रमांक 242 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/179.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मोतिमपुर ब पंजीयन क्रमांक 241 विकासखण्ड स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 33 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मोतिमपुर ब पंजीयन क्रमांक 241 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रूप कुमार साहू, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित मोतिमपुर ब पंजीयन क्रमांक 241 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/180.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मोतिमपुर अ पंजीयन क्रमांक 240 विकासखण्ड स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 32 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मोतिमपुर अ पंजीयन क्रमांक 240 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रूप कुमार साहू, उप अंके. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित मोतिमपुर अ पंजीयन क्रमांक 240 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/181.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. टिकारी पंजीयन क्रमांक 318 विकासखण्ड बोड़ला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 23 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. टिकारी पंजीयन क्रमांक 318 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाश देवांगन, स. नि. को प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित टिकारी पंजीयन क्रमांक 318 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/182.—पब्लिक टेक्नीकल सहकारी समिति मर्या. कवर्धा पंजीयन क्रमांक 318 विकासखण्ड कवर्धा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 41 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पब्लिक टेक्नीकल सहकारी समिति मर्या. कवर्धा पंजीयन क्रमांक 318 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रूप कुमार साहू, उप अंके. को पब्लिक टेक्नीकल सहकारी समिति मर्यादित कवर्धा पंजीयन क्रमांक 318 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/183.—संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. रेंगाबोड़ पंजीयन क्रमांक 3577 विकासखण्ड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 40 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. रेंगाबोड़ पंजीयन क्रमांक 3577 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंके. को संजय गांधी फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित रेंगाबोड़ पंजीयन क्रमांक 3577 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/184.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सुरजपुरा पंजीयन क्रमांक 296 विकासखण्ड स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 34 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सुरजपुरा पंजीयन क्रमांक 296 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाश चंद्र देवांगन, सह. निरी. को दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सुरजपुरा पंजीयन क्रमांक 296 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 11 फरवरी 2015

क्रमांक/उपंक्रपरि./2015/185.— कुमार ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर पंजीयन क्रमांक 262 विकासखण्ड कवर्धा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 47 दिनांक 3-1-15 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कुमार ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर पंजीयन क्रमांक 262 को इस आदेश के दिनांक 11-02-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शशिकांत श्रीवास, उप अंकेक्षण को कुमार ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित बरबसपुर पंजीयन क्रमांक 262 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-02-2015 को जारी किया गया है.

बी. के. ठाकुर,
पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर (छ. ग.)

नारायणपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1)]

क्रमांक/परि./संपना/2015/104/.—परिसमापनाधीन बहुउद्‌देशीय सहकारी समिति मर्यादित छोटेडोंगर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक/ए. आर./बी. टी. आर./429 दिनांक 27-03-1958 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री हेमन्त कुमार कुर्राम, उप-अंकेक्षक द्वारा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न बहुउद्‌देशीय सहकारी समिति मर्यादित छोटेडोंगर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक/ए. आर./बी. टी. आर./429 दिनांक 27-03-1958 का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 24-02-2015 को देनदारी एवं लेनदारी शून्य है.

अतः मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं नारायणपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते बहुउद्‌देशीय सहकारी समिति मर्यादित छोटेडोंगर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक/ए. आर./बी. टी. आर./429 दिनांक 27-03-1958 को रद्‌द करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

एस. एन. बघेल,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 06 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/Q.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2015/197 बिलासपुर दिनांक 20-01-15 द्वारा समिति का नाम दक्षिण पूर्व रेल्वे वेन्डर साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 3531 दिनांक 20-07-1994 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

बिलासपुर, दिनांक 06 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/Q.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2015/254 बिलासपुर दिनांक 24-01-15 द्वारा समिति का नाम शिवशंकर महिला बहुद्देशीय सह. स. मर्या. यदुनंदन नगर बिलासपुर पं. क्र. 3938 दिनांक को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

शिवानी मुले,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

बिलासपुर, दिनांक 06 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/02.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2014/2586 बिलासपुर दिनांक 15-12-14 द्वारा समिति का नाम निषाद महुआ सहकारी समिति मर्या. टिकरापारा पं. क्र. 3350 दिनांक 2-09-1989 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

बिलासपुर, दिनांक 06 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/02.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2015/277 बिलासपुर दिनांक 31-01-2015 द्वारा समिति का नाम प्रगति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. इंदिरानगर पं. क्र. 231 दिनांक 14-12-2006 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

नमिता विश्वास,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

बिलासपुर, दिनांक 06 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/Q.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2015/75 बिलासपुर दिनांक 06-01-2015 द्वारा समिति का नाम विकास महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. मोपका पं. क्र. 109 दिनांक 26-04-2001 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

मीनू अग्रवाल,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

बिलासपुर, दिनांक 06 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2014/.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2015/198 बिलासपुर दिनांक 20-01-2015 द्वारा समिति का नाम दी टेलीग्राफ इम्प्लाइज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 3140 दिनांक 24-07-1985 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

बिलासपुर, दिनांक 06 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2014/.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2015/200 बिलासपुर दिनांक 20-01-2015 द्वारा समिति का नाम मां काली महिला बहु. सह. समिति मर्या. तिफरा बिलासपुर पं. क्र. 244 दिनांक 25-04-2007 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

श्वेता दुबे,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2014/.—कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2015/196 बिलासपुर दिनांक 20-01-2015 द्वारा समिति का नाम वैष्णोदेवी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अमेरी पं. क्र. 3915 दिनांक 29-09-98 को परिसमापन में लाया गया. छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

सिमरन टेकचंदानी,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

बिलासपुर, दिनांक 06 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/76.—छ. ग. संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं के अभिलेख/सम्पत्ति आदि हों तो त्वरित परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के आप भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पंक्र/दिनांक	परिसमापक	स्थान
1.	महिला बेकरी उघोग सह. समिति मर्या. बिलासपुर	478	गोधूली वर्मा स. नि.	कार्या. उप पंजीयक सह संस्थायें बिलासपुर छ. ग.
2.	भवानी महिला बहु सह. समिति मर्या. बसिया	122	गोधूली वर्मा स. नि.	कार्या. उप पंजीयक सह संस्थायें बिलासपुर छ. ग.

गोधूली वर्मा,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.